संख्या-105/2026/1317397/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/32/2024

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) लखनऊ दिनांक 06 मई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मा0 उच्च न्यायालय के अनावासीय एवं आवासीय भवनों के लिए मानक मद-25-लघु निर्माण कार्य में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में लघु निर्माण कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण-25-लघु निर्माण कार्य के लिए रूपये 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) एवं लेखाशीर्ष-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-07-मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए आवासीय भवनों का निर्माण-25-लघु निर्माण कार्य में रूपये 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) अर्थात कुल रूपये 550.00 लाख (रूपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण-25-लघु निर्माण कार्य एवं लेखाशीर्ष-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-07-मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए आवासीय भवनों का निर्माण-25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित सुसंगत नियमों/शर्तो के अधीन समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए लघु निर्माण कार्य हेतु ही नियमानुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-171/दस-2008-244-5/2008 दिनांक 21 जनवरी 2010 में एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 **द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहें**

भवदीय,

(**उदय प्रताप सिंह**),
प्रमुख सचिव।

सं0-105/2026/1317397(1)/**सात-न्याय**-9(**बजट**)-2026, **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज।**

2- निदेशक, **वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय**, **प्रथम तल**, **जवाहर भवन**, **लखनऊ।**

3- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, **इन्दिरा भवन, सिविल लाइन प्रयागराज।**

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

5- उप सचिव एवं नोडल अधिकारी(**बजट एलाटमेन्ट**) **श्री पीयूष कुमार ।**

6- वित्त (**व्यय-नियंत्रण**) **अनुभाग**-12

7- गार्डबुक न्याय-9(**बजट**)**।**

आज्ञा से,

(**पीयूष कुमार**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in